तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा श्रीमती उगम देवी बनाम कन्हैयालाल व अन्य प्र. 40/8 विविध प्रा.पत्र
7-12-17	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारे हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक.........को पेश हो। 18-1-18 आज्ञा से रीडर
18/1/18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि. उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के प्रा.पत्र का जवाब अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया। जवाब की प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी गई। प्रा.पत्र दिनांक 15-3-18 को पेश हो।
15/3/18	पत्रावली पेश हुई। मूल प्रकरण के साथ दिनांक 26-4-18 को पेश हो।
28/5/18	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान [illegible] पेश हुई। मूल प्रकरण के साथ दिनांक 7/8/18 को पेश हो।
	07.08.2018 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागणो द्वारा प्रा0पत्र बाबत स्थगन में बहस करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए, बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। जबकि इसके विरूद्ध विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किये जाने की ईस्तदुआ की।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात का अवलोकन/परिक्षण किया गया। एंव बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण के पक्ष में दर्ज विवादित आराजीयात में से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल व आराजीयात का अन्तरण/बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः ग्राम डोडवानियों का खेडा पटवार हल्का रूपाहेलीखुर्द भू0अ0निरीक्षक रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 312 के **आराजी सख्यां 204, 220, 229, 292, 323, 324, 1186, 1192, 1294, 1543/204 किता 10 कुल रकबा 27–14 बीघा भूमि के** राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विगत सुनवाई दिनांक 22.08.2008 को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को इस प्रकार कन्फर्म किया जाकर, उभयपक्षो को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।